रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122021-231944
CG-DL-E-17122021-231944

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 702] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 16, 2021/अग्रहायण 25, 1943
No. 702] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 16, 2021/AGRAHAYANA 25, 1943

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. 861(अ).—केन्द्रीय रेशम बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 13 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय रेशम बोर्ड, रेशम कीट बीज विनियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्-:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रेशम बोर्ड रेशम कीट बीज (संशोधन) विनियम 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड रेशमकीट बीज विनियम 2010 ,(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) , विनियम 19-के पश्चात् ,निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा ,अर्थात्- :

"19 क. रेशम कीट बीज का निर्यात और आयात तथा संगरोध क्रियाविधि- रेशम कीट बीज का निर्यात और आयात तथा संगरोध क्रियाविधि इन विनियमों से संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

3. उक्त विनियम में, प्ररूप 3 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी ,अर्थात्:

"अनुसूची"

(विनियम 19 क देखें)

रेशम कीट बीज का निर्यात और आयात तथा संगरोध क्रियाविधि

प्रस्तावना:

संगरोध यह सुनिश्चित करने का एक उपाय है कि पौधों और जानवरों तथा उनके उत्पाद जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करते हैं, पीड़क और रोग मुक्त हैं ताकि, क्षेत्र में पीड़क और रोग तथा उनके फैलाव को रोका जा सके। इसका उद्देश्य

खतरनाक जीवों से परिहार्य क्षति से कृषि/रेशम उत्पादन को संरक्षित करना जो अनजाने में किसी विशिष्ट देश में फैल सकता है। एक देश या क्षेत्र से दूसरे देश में पौधे, फल, बीज, जानवर, कीड़े, सूक्ष्मजीव, आदि का आयात और निर्यात करते समय संगरोध उपायों का सख्ती से पालन किया जाता है। कोई प्रगतिशील देश जैविक सामग्रियों के अनिर्बंधित आयात या अपने क्षेत्र के भीतर एक क्षेत्र से दूसरे में अनिर्बंधित परिवहन की अनुमति नहीं देता है। इसलिए, पीड़क और बीमारियों की जोखिम के कारण किसी भी जैविक सामग्री का आयात नियंत्रित किया जाता है। डब्ल्यूटीओ और जीएटीटी,1994 के सैनिटरी या फाइटोसैनिटरी उपायों के अधीन, आयात और निर्यात के दौरान राज्य क्षेत्र और देशों के भीतर मानव या पशु जीवन या पशु स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बारबार जोर दिया गया है।

(I) रेशम कीट अंडे के निर्यात के लिए संगरोध विधियां :-

अंडा उत्पादन उद्योग के निजीकरण के लिए सरकार की उदारीकरण नीति ने कई निजी व्यक्तियों और अभिकरणों द्वारा बीज उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए रास्ता खोला है । कुछ अच्छी तरह से संगठित निजी क्षेत्र के उद्योग पहले ही रेशम कीट अंडे का निर्यात कर रहे हैं और बीमारी मुक्तता के लिए इन रेशम के अंडे के निर्यात के संबंध में वर्तमान में संगरोध के अधीन कोई बाध्यता नहीं है । इस प्रकार रेशम कीट अंडे के अनिर्बंधित निर्यात या आयात , आयातित देश में बीमारी आने और फैलने का कारण बन सकता है। यह निर्यात और देश की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। इसलिए, रेशम कीटों के सभी निर्यात और आयात को सख्त रूप से विनियमित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संगरोध प्रक्रियाओं पर कोई समझौता नहीं है।

(अ) निर्यात के लिए सामान्य शर्तें और आवश्यक अपेक्षाएं

(i) निर्यातकर्ता रजिस्ट्रीकरण समिति के रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होना चाहिए। निर्यातकर्ता को निर्यात परमिट के लिए विहित प्ररूप उपाबंध– (i) में नियत फीस का भुगतान करते हुए सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरु को आवेदन कर निर्यात परमिट उपाबंध – (ii) अभिप्राप्त करना चाहिए ।

(ii) निर्यातकर्ता को आवेदन के साथ एक वचनबंध उपाबंध – (iii) प्रस्तुत करना चाहिए ।

(iii) निर्यातकर्ता प्रभार देते हुए प्रत्येक परेषण के लिए आवश्यक संगरोध प्रमाण पत्र उपाबंध – (iv) अभिप्राप्त करेगा।

(iv) निर्यात के लिए संगरोध निरीक्षण किया जाएगा और प्रमाण-पत्र मात्र समिति द्वारा स्थापित या प्रत्यादित संस्थाओं में कार्यरत तकनीकी रूप से अर्हित और सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इसमें की शर्तों को पूरा करने के बाद जारी किया जाएगा।

(v) प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संगरोध प्रमाणपत्र और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्यात परमिट के बिना कोई परेषण का निर्यात नहीं किया जाएगा ।

(vi) निर्यात के लिए रखे सभी रेशम कीट बीजों को बक्से में विहित मानक के अनुसार समान भार के 50 बीज चकत्ते के ढीले अनाज के रूप में तैयार किया जाना चाहिए।

(vii) निर्यात के लिए केवल प्राधिकृत संकरों के लिए अनुमति है ।

(viii) निर्यातकर्ता को विहित शर्तों के अनुसार अपने स्वयं के खर्च पर विनिर्दिष्ट संगरोध केन्द्र पर परेषण करना चाहिए।

(ix) निर्यातकर्ता को निरीक्षण के प्रयोजन के लिए उत्पादों को तैयार कर प्रस्तुत करना चाहिए और विनिर्दिष्ट नमूनाकरण अनुसूची के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति को नमूना प्रस्तुत करना चाहिए।

(x) निर्यातकर्ता को बक्से को संभालने के लिए आवश्यक श्रम और भौतिक सहायता प्रदान करना चाहिए।

(xi) संगरोध अधिकारी निरीक्षण के बाद परेषण को मुहर लगाएगा । मुहर में "निरीक्षण किया गया और प्रमाणित" चिह्नित किया जाएगा।

(xii) निरीक्षण के बाद, निर्यातकर्ता को निरीक्षण प्रयोगशाला के परिसर से उसी दिन परेषण को अनुमोदन देना चाहिए।

(xiii) प्रमाणन के बाद, निर्यातकर्ता किसी भी तरह से परेषण की सामग्री में बदलाव नहीं करेगा और संगरोध मुहर को विकृत या क्षति नहीं पहुंचाएगा।

(xiv) संगरोध केन्द्र की किसी प्रकार का रोग ग्रसन और संक्रमण की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी जो परेषण का निरीक्षण और प्रमाणन के बाद हो सकता है ।

(xv) किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन अथवा अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए जो कुछ भी अच्छा विश्वास में किया गया है अथवा संगरोध विधि या प्रक्रियाओं के अधीन करना चाहा ।

(आ) संगरोध परीक्षण प्रयोगशाला

संगरोध नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए संगरोध केन्द्रों पर पूरी तरह से सुसज्जित परीक्षण प्रयोगशाला की व्यवस्था की जाएगी। संगरोध परीक्षण निर्यात योग्य नमूना अंडे में पेब्रिन रोग का पता लगाने के अपकेन्द्रित विधि अपनाते हुए किया जाएगा। परीक्षण के लिए उपकरण निम्न हैं:

(क) उपकरण

क्रम सं	उपकरण
(1)	(2)
1	कीटपालन गृह सुविधाओं के साथ प्रेसिजन उष्मायित्र
2	पेस्ट्ल और मोर्टार/ऊतक होमोजीनाइज़र
3	जार के साथ मिक्सर
4	इप्पेन्डोर्फ अपकेन्द्रण यंत्र (1.5 / 2 मिलीलीटर) और ट्यूब
5	अपकेंद्रित्र (15/100 मिलीलीटर ट्यूब क्षमता) और ट्यूब
6	दूरबीन चरण विपरीत माइक्रोस्कोप
7	साइक्लोमिक्सर
8	प्लास्टिक बीकर
9	10 सेमी व्यास का फ़नल
10	पतला ग्लास रॉड
11	माइक्रो स्लाइड्स
12	कवर स्लिप्स
13	मापने का सिलिंडर
14	ड्रॉपर/ ड्रॉप बोतलें
15	प्लास्टिक की बाल्टी
16	प्लास्टिक बेसिन
17	परीक्षण मेज
18	परीक्षण स्टूल
19	परीक्षण के लिए प्रकाश की व्यवस्था
20	मस्लिन कपड़ा
21	स्टेरलाइज्ड कपास
22	क्लिनिकल स्टेरिलाइज़र
23	रोगाणुनाशन के लिए फुहारक ,रोगाणुनाशन मास्क
24	हाथ दस्ताने, एप्रोन, आवर्धक ग्लास, फोरसेप्स, कैंची, नमूना स्कूप
25	माइक्रोपिपेट्स
26	छोटे शहतूत उद्यान से जुड़ी चॉकी कीटपालन सुविधाएं।

(ख) रसायन

क्रम सं	रसायन का नाम
(1)	(2)
1.	पोटेशियम कार्बोनेट
2.	ब्लीचिंग पाउडर
3.	सामान्य कीटाणुनाशक
4.	शुद्ध आसुत पानी

(इ) रेशम कीट अंडे के लिए संगरोध परीक्षण विधि

(क) व्यक्तिगत अंडा परीक्षण

(i) अवसाद या असामान्य रंग और आकार के अंडे का चयन

(ii) 12 मिमी कवर ग्लास दबाकर एक साफ ग्लास स्लाइड पर 10 सेकंड के लिए 0.25% K2CO3 विलयन में उन्हें बंद करने के बाद चयनित अंडों को कुचलना ।

(iii) उज्ज्वल प्रकाश में 600 x आवर्धन पर एक चरण विपरीत माइक्रोस्कोप का उपयोग कर जांच करें।

(iv) कम से कम 5 माइक्रोस्कोपिक क्षेत्रों की जांच करें।

(ख) *एन मास* अंडा परीक्षण

नीचे दिए गए नमूनों के अनुसार परीक्षण के लिए रेशम कीट अंडे संग्रहीत किए जाएं :

नमूने चुनने की प्रक्रिया

अंडे के बक्से की संख्या	**नमूने के लिए बॉक्स**	**परीक्षण किए जाने वाले अंडों की कुल मात्रा (ग्रा.)**
(1)	**(2)**	**(3)**
1-5	सभी	1
6-10	5	1
11-50	10	2
51-100	20	4
101-200	30	6
201-300	40	8
301-400	50	10
401-500	60	12
501-600	70	14
601-700	80	16
701-800	90	18
801-900	100	20
901-1000	110	22
1001-2000	120	24
2001-3000	145	29

3001-4000	195	39
4001- 5000	225	45
5001- 7000	250	50
7001- 10000	310	62
10001- 20000	425	85

(i) अंडे के एक हिस्से प्रति 4 भाग K2CO3 की दर से 0.5% K2CO3 विलयन के साथ मोर्टार और पेस्ट्ल का उपयोग कर नमूना योजना के अनुसार एकत्रित अंडों को कुचल देना।

(ii) होमोजेनेट को व्यवस्थित होने के लिए 3मिनट दें।

(iii) अवशोषक कपास /मस्लिन कपड़े की एक पतली परत के माध्यम से होमोजेनेट का छन्नी करे ।

(iv) 3000 आरपीएम पर 3 मिनट के लिए अपकेंद्रित्र।

(v) पानी की कुछ बूंदें /0.5% K2CO3 विलयन में जोड़ें और अवसाद को फैलाने के लिए एक साइक्लोमिक्सर पर हिलाएं।

(vi) 600 x पर एक उज्ज्वल क्षेत्र अथवा फेज़ कान्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से जांच करें।

(vii) 2 स्मीयर/नमूना लें और कम से कम 5 माइक्रोस्कोपिक फ़ील्ड/स्मीयर का निरीक्षण करें।

(ग) अंडे की स्फुटन जांच करना

अंडे के नमूनों से कुछ अंडों (50 से 100 अंडे) को मानक ऊष्मायन विधियों का पालन करते हुए ऊष्मायन के लिए रखा जाना चाहिए। स्फुटन के बाद, स्फुटन प्रतिशतता ,अनिषेचित अंडे और अस्फुटित अंडे (मृत अंडे) को रिकार्ड किया जाना है।

(घ) चॉकी लार्वा का निरीक्षण

परीक्षित परेषण से कूर्चन किए गए नमूने अंडे से चॉकी लार्वा का निरीक्षण मानक निरीक्षण विधि के अनुसार तीसरे इंस्टार के दौरान किया जाना चाहिए।

(i) मोर्टार और पेस्ट्ल में 0.6% K2CO3 विलयन के साथ नमूना लार्वा को होमोजिनाइज़ किया जाए।

(ii) बीकर में होमोजेनेट डालकर 3 मिनट गाद के लिए दें ।

(iii) अवशोषक कपास/मस्लिन कपड़े की एक पतली परत के माध्यम से होमोजेनेट का छन्नी करें ।

(iv) 0.6% k2CO3 विलयन की कुछ बूंदों में अवसाद को गलाएं ।

(v) ऊपर बताए अनुसार माइक्रोस्कोप के नीचे आलेप की जांच करें।

(इ) रोगाणुनाशन और सफाई

नमूना अंडे के संगरोध परीक्षण खत्म होने के बाद, कमरे की फर्श को सामान्य रोगाणुनाशक से साफ करना है । परीक्षण के लिए उपयोग किए गए सभी उपकरणों को उचित ढंग से कीटाणुरहित किया जाना चाहिए। परीक्षण के लिए इस्तेमाल किए गए कांच के बने पदार्थ को भी निर्जलित किया जाना चाहिए और सामान्य स्वच्छता को बनाए रखना है ।

(ई) संगरोध प्रमाणपत्र जारी करना

संगरोध प्रमाणपत्र यह सुनिश्चित करने का प्रमाण पत्र है कि निर्यात के लिए रखे गए अंडे पेब्रिन रोग अथवा किसी अन्य बीमारी या पीड़क से मुक्त हैं। यदि परीक्षण किए गए नमूने अंडे पेब्रिन बीमारी से मुक्त होते हैं, तो डीआईए द्वारा संगरोध प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा (दक्षिणी अंचल और महाराष्ट्र और उड़ीशा के लिए रेबीप्रौप्र और केरेअवप्रसं, बहरमपुर शहतूत रेशम कीट के मामले में शेष राज्यों के लिए) । तसर रेशम कीट के लिए डीआईए केन्द्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, राँची होगा और एरी तथा मूगा रेशम कीट के लिए केन्द्रीय एरी एवं मूगा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (केमूएअवप्रसं), लाहदोईगढ़ होगा। संबंधित संस्थानों के रेशम कीट रोगविज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक प्राधिकृत संगरोध निरीक्षण अधिकारी होंगे जो, अपनी प्रयोगशाला में संगरोध निरीक्षण करते हैं।

(उ) निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण

संगरोध केन्द्र के निरीक्षण अधिकारियों को अद्यतन परीक्षण प्रौद्योगिकी और रेशम कीट के विभिन्न अवस्था जैसे अंडा, लार्वा, प्यूपा और शलभ के विभिन्न विकास चरणों में पेब्रिन स्पोरों का सही पहचान में प्रशिक्षित किए जाएंगे । प्रशिक्षण रेशम कीट बीज प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, केन्दीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरु द्वारा प्रदान किया जाएगा। अधिकारियों/पदधारियों की ज्ञान को अद्यतन करने के लिए जब भी यह आवश्यक महसूस हो, पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा ।

(ऊ) संगरोध अधिकारियों के कर्तव्य और कार्य

(क) पदनामित निरीक्षण प्राधिकरण (डीआईए)

संगरोध छान-बीन करना पदनामित निरीक्षण प्राधिकरण की ज़िम्मेदारी है। चार डीआईए होंगे, प्रधान, रेबीप्रौप्र, बेंगलूरु, कर्नाटक और निदेशक, केरेअवप्रसं, बहरमपुर, पश्चिम बंगाल, निदेशक, केतअवप्रसं, राँची, झारखण्ड तथा निदेशक, केमूएअवप्रसं, लाहदोईगढ़, असम । संबंधित संस्थानों में रेशम कीट रोगविज्ञान प्रयोगशाला में कार्यरत वैज्ञानिक प्राधिकृत संगरोध निरीक्षण अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, जो परीक्षण कर सकते हैं और संगरोध प्रक्रिया में अधिकथित शर्तों के अनुसार विनिश्चय कर सकते हैं। प्राधिकृत अधिकारियों को रेशम कीट की बीमारी के निदान से जुड़ी प्रक्रिया की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। वह प्रयोगशाला अथवा निर्यातकर्ताओं की स्थान में माइक्रोस्कोपिक परीक्षण करेगा जहां निर्यातकर्ता द्वारा सुविधा प्रदान किया गया है । यदि जांच के दौरान पेब्रीन पाया जाता है, डीआईए या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी तुरंत उस बैच को नष्ट करने के लिए अधिकार प्राप्त है और परीक्षण रिपोर्ट और कार्रवाई की प्रतियों को चिह्नित करते हुए संबंधित को सूचित करेंगे। डीआईए के संगरोध प्रमाणपत्र के बिना, निर्यातकर्त्ता परेषण निर्यात नहीं कर सकता है।

(ख) बीज के निर्यात या आयात के लिए सिफारिश करने वाले प्राधिकरण

सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड बीज के निर्यात या आयात के लिए सिफारिश करने का एकमात्र प्राधिकारी है। सदस्य सचिव रेशम कीट बीज के आयात या निर्यात के अनुरोध के लिए अनुमति देने या अस्वीकार करते समय रेशम उत्पादन उद्योग के हितों की रक्षा के लिए मामलों को वैयक्तिक रूप में देखेंगे। यह नीति निर्णय और कंपनी या संगठन की बीज और प्रतिष्ठा की गुणवत्ता की सुरक्षा पर आधारित है ।

(II) रेशम कीट बीज के आयात के लिए संगरोध विधियां :-

(अ) आयात करते समय संगरोध नियमों को परिचय करने की आवश्यकता

जननद्रव्य और अन्य अनुवांशिक सामग्रियों का आदान-प्रदान और वैज्ञानिकों अथवा प्रौद्योगिकीविद् द्वारा प्रजनन उदेश्य अथवा अन्य वैज्ञानिक गतिविधियों के दौरे के दौरान विदेश से जीवित सामग्री जैसे अंडे, डिम्भक और कोसा को लाने का अभ्यास सामान्य बन गया है । देश भर में रेशम उत्पादन की तेजी विस्तार के साथ, रेशम कीट बीज की आवश्यकता में बड़ी वृद्धि हुई है। रेशम उत्पादन उद्योग में निजीकरण को प्रोत्साहित करने की सरकार की नीति, निजी उद्यमियों द्वारा कई खेतों और बीज उत्पादन केंद्रों की स्थापना के लिए रास्ता खोला है । प्रतिष्ठित विदेशी रेशम कीट बीज फर्म पहले से ही घरेलू निजी कंपनियों के सहयोग करते आ रहे हैं और उच्च उपज वाले रेशम कीट बीजों को भारत में निर्यात किया जाता है।

मुक्त व्यापार व्यवस्था में, रेशम कीट की गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता और कृषि से प्राप्त आय में वृद्धि की जा सकती है और उच्च उत्पादन क्षमता वाले उच्च गुणवत्तायुक्त रेशम कीट संकर अंडे जो भारत के कृषि जलवायु अवस्था के लिए उपयुक्त है, का आयात करते हुए भारत में द्विप्रज रेशम उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा सकता है । वर्तमान में, रेशम कीट अंडे के आयात के समय सख्त संगरोध प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। संगरोध उपायों के प्रयोग में ऐसी कोई भी निरंतर लापरवाही रेशम कीट के रोग का प्रारंभ और फैलाव के कारण बन सकती है। इसलिए, बीमारियों को आमंत्रित करने के जोखिम से बचने के लिए किसी भी प्रकार के रेशम के अंडे या जीवित कोसा के आयात के लिए संगरोध विनियम लागू किया जाना चाहिए।

देश की कृषि और वन प्रजातियों विशेष रूप से पौधों और पशु संपत्ति की रक्षा के लिए, (खेती की गई पौधों और पालतू जानवरों की पशु संपत्ति), भारत सरकार ने "नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम 1914" नामक एक अधिनियम लागू करते हुए पौधों और पौधों के उत्पादों के आयात को विनियमित किया है और उक्त अधिनियम के अधीन विभिन्न विनियमों को लागू करने के लिए पौध संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय की स्थापना की। पौधों की सामग्री के आयात को नियंत्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, बंदरगाहों और स्थल सीमाओं जैसे सभी प्रवेश बिंदुओं पर संगरोध उपायों को सख्त रूप में कार्यान्वित किया जाता है। इस तरह की एक संगरोध प्रणाली रेशम उत्पादों के संबंध में मौजूद नहीं है। सख्त संगरोध प्रणाली की अनुपस्थिति में, कुछ पीड़क नए क्षेत्रों पर आक्रमण करते हैं और समय के अनुसार वहां स्थापित होते हैं। 1980 में बीज कोसे के अनैतिक और अनधिकृत व्यापार से पश्चिमी बंगाल से कर्नाटक तक रेशम कीट की किस्म *बॉम्बिक्स मोरी एल* के एक प्रमुख परजीवी ऊजी मक्खी (*एक्सोरिस्टा बॉम्बीसिस*) का फैलाव एक उदाहरण है। तब से परजीवी स्थापित होकर कोसा फसल को अभूतपूर्व नुकसान पहुंचाने का कारण बन गया है । वाणिज्यिक उपयोग के

लिए जम्मू-कश्मीर में विदेशों से आयातित संकर रेशम कीट अंडे में पेब्रिन बीमारी की निरंतर आपतन की घटना जैसे कई अन्य उदाहरण भी थे, जो रेशम उत्पादन के अस्तित्व को खतरा थे ।

(आ) रेशम कीट बीज आयात पर संगरोध विनियमन

संगरोध उपायों से अन्य देशों से रेशम कीट के आयात को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और बीज आयात करते समय होने वाले रेशम कीट के रोग को भी रोक दिया जाएगा, संगरोध प्रक्रियाओं पर बिल्कुल कोई समझौता नहीं किया जाएगा । सामान्य शर्तें निम्नानुसार है :

क. आयातकर्ता रजिस्ट्रीकरण समिति के साथ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होना चाहिए।

ख. उन्हें बीज के आयात के लिए आवश्यक फीस के साथ फार्मेट उपाबंध**-(v)** में आवेदन करते हुए सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड से आयात परमिट प्राप्त करना चाहिए।

ग. उन्हें उपाबंध **-(vi)** के अनुसार प्रोफार्मा में प्रवेशोत्तर संगरोध (पीईक्यु) निरीक्षण के लिए एक वचनबंध प्रस्तुत करना चाहिए।

घ. बिना विधिमान्य आयात परमिट **(**उपाबंध **- vii)** और मूल देश द्वारा जारी संगरोध प्रमाण-पत्र के कोई रेशम कीट बीज का आयात नहीं किया जाएगा।

ङ. देश में आयात किए गए बीज के सभी लॉट या बैचों की एक नमूना निकटतम केन्द्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला (सीएसटीएल) को संगरोध परीक्षण रिपोर्ट **(**उपाबंध **- viii)** जारी करने के लिए अधिकथित प्रक्रियाओं के अनुसार रोग मुक्तता अभिनिश्चित करने संबंधी परीक्षण संचालित करने के लिए भेजा जाएगा।

च. सभी बीज आयातकर्ता रजिस्ट्रीकरण समिति को भारत **(**उपाबंध **ix)** में आयातित बीज के निष्पादन संबंधी एक रिपोर्ट जमा करेंगे।

छ. इस प्रकार आयातित बीज (अंडे) को वाणिज्यिक उपयोग में तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक परीक्षण इकाइयों द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया जाता है कि बीज सुरक्षित और किसी भी पीड़क और रोग से ग्रस्त नहीं है ।

ज. आयात एजेंसी आयात के बाद संगरोध प्राप्त करते समय निर्यातकर्ता देश के पदनामित प्राधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र प्रदान करेगी।

झ. आयातकर्ता प्रत्येक परेषण के लिए आवश्यक संगरोध परीक्षण रिपोर्ट **(उपाबंध - viii)** प्राप्त करेगा।

ञ. यदि परेषण के आगमन पर पेब्रिन रोग की उपस्थिति पाई जाती है, तो पूरे माल को खारिज कर उसे नष्ट कर दिया जाएगा।

ट. अंडे के आयातित परेषण को निर्यातकर्ता द्वारा संगरोध अनुमोदन तक उचित रूप से भण्डारण और ऊष्मायन किया जाएगा।

ठ. आयातित अंडे किसानों को वितरित नहीं किए जाएंगे, लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार पीईक्यू निरीक्षण की सुविधा के लिए आयातकर्ता द्वारा चॉकी कीट पालन किया जाएगा।

ड. आयातकर्ता पहले से ही ऐसी सामग्री के कूर्चन के समय/तारीख के बारे में अधिकार क्षेत्र वाले पदनामित निरीक्षण प्राधिकारी को सूचित करेगा।

ढ. पदनामित निरीक्षण प्राधिकरण आयातकर्ता द्वारा किसानों को कीटों के वितरण की अनुमति देगा, अगर वे पेब्रिन रोग से मुक्त पाए जाते हैं।

ण. यदि पीईक्यू निरीक्षण में कीट पेब्रिन रोग से प्रभावित पाया जाता है तो, डीआईए उसे नष्ट कराने का आदेश देगा और आयातकर्ता रोग ग्रस्त कीटों की लॉट को नष्ट कर देगा ।

(इ) संगरोध परीक्षण केन्द्र

निदेशक/भारसाधक अधिकारी, रेशम कीट बीज प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, केरेबो, बेंगलूरु अथवा अन्य संस्थान भारत के दक्षिणी राज्यों, जैसे महाराष्ट्र और ओडिशा के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल में स्थित कंपनियों आयातित द्वारा अंडों के लिए पदनामित निरीक्षण प्राधिकरण (डीआईए) होंगे। निदेशक/भारसाधक अधिकारी, केरेअवप्रसं, बरहामपुर शेष राज्यों के लिए पदनामित निरीक्षण प्राधिकरण (डीआईए) होंगे। तसर रेशम कीट के लिए डीआईए केन्द्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, राँची होगा और एरी और मूगा रेशम के लिए केन्द्रीय एरी और मूगा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, लाहदोईगढ़ होगा। संबंधित संस्थानों के रेशम कीट रोगविज्ञान प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक प्राधिकृत संगरोध निरीक्षण अधिकारी होंगे जो चॉकी कीटपालन के दौरान आयातकर्ता के स्थान पर प्रवेशोत्तर संगरोध निरीक्षण संचालित करेगा।

(ई) बंदरगाह प्रवेश और आयात अभिकरण में संगरोध निरीक्षण की प्रक्रियाएं

बंदरगाह प्रवेश के समय संगरोध प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली रेशम कीट अंडे की नमूनाकरण और परीक्षण प्रक्रिया वही है जो रेशम कीट अंडे के निर्यात के लिए वर्णित है।

(उ) आयातकर्ता द्वारा प्रवेशोत्तर संगरोध सुविधाएं

आयातकर्ता को चाँकी कीटपालन के दौरान प्रवेशोत्तर संगरोध संचालित करने के लिए उनके स्थान में पेब्रीन परीक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। आवश्यक उपकरण और रसायनों की खरीद की जाएगी और सुविधाएं अपने खर्च से बनाई जाएगी।

(ऊ) आयातकर्ता (पीईक्यू निरीक्षण) के स्थान पर डिम्भक रेशम कीट लार्वा की परीक्षण प्रक्रिया

प्रत्येक इंस्टार में मात्र एक बार कमजोर, छोटा अस्थिर लार्वा एकत्रित किए जाते हैं। प्रथम, दूसरे और तीसरे इंस्टार के दौरान क्रमश: 0.5, 1.0 और 2 ग्राम का लार्वा जांच के लिए लिया जाना चाहिए। लार्वा को 0.6% K2CO3 विलयन मिलाकर पूरी तरह से कुचल दिया जाना चाहिए, इसके बाद पेब्रिन के निदान के लिए परीक्षण का मानक अपकेन्द्री विधि प्रयोग किया जाता है ।

(ऋ) निरीक्षण पदधारियों के लिए प्रशिक्षण

संगरोध केन्द्र और पदनामित निरीक्षण प्राधिकरणों के निरीक्षण अधिकारियों को अध्यतन परीक्षण प्रौद्योगिकी और अंडे एवं डिम्भक अवस्था में पेब्रीन रोग को सही रूप में पहचानने में वैज्ञानिक रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा । प्रशिक्षण रेशम कीट बीज प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बैंगलोर द्वारा प्रदान किया जाएगा। जब भी आवश्यक महसूस होता है तो अधिकारियों को नवीनतम तकनीक का ज्ञान प्रदान करने के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी संचालित किया जाएगा ।

(ए) संगरोध केन्द्रों के कर्तव्य और कार्य

प्रधान, रेबीप्रौप्र,बेंगलूरु और निदेशक, केरेअवप्रसं, बहरमपुर डीआईए के रूप में कार्य करेंगे जिन्हें संबंधित केन्द्रों के रेशम कीट रोगविज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा सहायता दी जाएगी। वैज्ञानिक कीटपालन के पहले 3 चरणों के दौरान लार्वा परीक्षण के परिणामों के बारे में डीआईए को अवगत कराएंगे। यदि पेब्रिन रोग रिपोर्ट की जाती है तो डीआईए उस लॉट को नष्ट करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। यदि लॉट अथवा बैच रोग मुक्त पाया जाता है तो, डीआईए कीटपालन जारी रखने के लिए आयातकर्ता को अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करेगा।

[फा. सं. 25011/4/2019-रेशम]

संजय शरन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: केन्द्रीय रेशम बोर्ड रेशम कीट बीज विनियम 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 , धारा 3, उप-खंड (1) में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 194 (अ), तारीख 16 मार्च 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया तथा अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 75 तारीख 31 मार्च 2015 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया।

उपाबंध – (i)

रेशम कीट बीज निर्यात हेतु अनुमति के लिए आवेदन

प्रेषक

मेसर्स. _____

_____

_____

_____

सेवा में,

सदस्य सचिव,

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

केरेबो काम्प्लेक्स, बीटीएम लेआऊट, मडिवाला

बेंगलूरु – 560 068.

महोदय,

रेशम कीट बीज के निर्यात प्राधिकृत करते हुए अनुमति मांगते हुए मेरा आवेदन कृपया संलग्न पाएं ।

(बडे अक्षरों में)

1	निर्यातकर्ता का नाम और पता	
2	किस्म का नाम (निर्यात हेतु संकर)	
3	निर्यात करने वाले अंडों की मात्रा	
4	आयात अभिकरण/कंपनी का नाम और पता	
5	परेषण की हवाई उठान की अनुमानित तारीख/माह	
6	हवाई अड्डा का नाम	
7	वाणिजियक बीज के निर्यात के लिए पिछले आयात लाइसेंस की संख्या और तारीख	
8	पदनामित निरीक्षण प्राधिकरण (डीआईए) का नाम और डाक पता जिसके पर्यवेक्षण के अधीन अंडे निर्यात किए जाएंगे	

घोषणा :

मैं घोषणा करता हूँ कि दी गई सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास से सही है । मैं परमिट में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार किसी अभिहित निरीक्षण प्राधिकारियों को संगरोध निरीक्षण के लिए परेषण को प्रस्तुत करने का वचन करता हूँ ।

स्थान

तारीख

निर्यातकर्ता अथवा उनके प्राधिकृत एजेंट का हस्ताक्षर

टिप्पण

निर्यातकर्ता या उसका प्राधिकृत एजेंट संगरोध प्रमाणपत्र के लिए परेषण प्रस्तुत करते समय संगरोध स्टेशन के भारसाधक अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने के लिए परमिट प्रस्तुत करेगा। पता में यदि कोई बदलाव हो तो इसे शीघ्र ही जारी करने वाले प्राधिकारी को सूचित करेगा।

उपाबंध – (ii)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

बीटीएम लेआऊट, मडिवाला, बेंगलूरु – 560 068

वाणिज्यिक कीटपालन के लिए रेशम कीट बीज के निर्यात के लिए परमिट

परमिट सं : ..... तक विधिमान्य है

1. _____

को (आयातकर्ता अथवा उनके प्राधिकृत एजेंट के नाम और पते) एतदद्वारा विनिर्दिष्ट रेशम कीट बीज,_____में उत्पादित को वायु/समुद्र/स्थल के माध्यम से _____ (भेजनेवाले का नाम और पता) _____ वायु/समुद्र,बदरगाह/स्थल,सीमा शुल्क केन्द्र_____से निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्यात करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

1	बंदरगाह/केन्द्र का नाम	
2	किस्म का नाम	
3	अंडे की मात्रा (अंक अथवा वजन में)	

4	पानेवाले का नाम और पता	
5	देश और स्थान जहां बीज का निर्यात किया जाता है ।	
6	आगमन का विदेशी बंदरगाह	
7	फर्म के रजिस्ट्रीकरण का नाम और तारीख	

2. बीज का परेषण बीमारियों से मुक्त होना चाहिए, साथ ही संगरोध प्राधिकरण द्वारा जारी रोग मुक्त प्रमाणपत्र भी होना चाहिए।

3. यह परमिट हस्तांतरणीय नहीं है ।

स्थान

तारीख सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर

(मोहर)

उपाबंध – (iii)

निर्यातकर्ता द्वारा वचनबंध प्रस्तुत करने संबंधी प्रोफार्मा

प्रेषक

मेसर्स. _____

_____

_____

_____

सेवा में,

सदस्य सचिव,

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

केरेबो काम्प्लेक्स, बीटीएम लेआऊट, मडिवाला

बेंगलूरु – 560 068.

महोदय,

विषय: वाणिज्यिक रेशम कीट अंडे के निर्यात के लिए वचनबंध ।

वाणिज्यिक रेशम कीट अंडे के निर्यात के लिए मेसर्स..... ..... के पक्ष में, मैं---------- निम्नलिखित वचनबंध करता हूँ ।

1. इस संगठन से रेशम कीट बीज के निर्यात के लिए "निर्यात परमिट" जारी करने के लिए आपको पहले से ही एक आवेदन किया जाएगा और केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार "निर्यात परमिट" के बिना कोई निर्यात नहीं किया जाएगा ।
2. निर्यात परमिट को निर्दिष्ट अतिरिक्त घोषणा के साथ संगरोध प्रमाण पत्र द्वारा परेषण के शिपमेंट को कवर किया जाएगा।
3. संगरोध छानबीन/निरीक्षण के लिए भारसाधक अधिकारी, रेशम कीट बीज संगरोध केन्द्र को निर्यात योग्य परेषण प्रस्तुत किया जाएगा।
4. मैं/हम इसके साथ वचन करता हूँ /करते हैं कि अंड उत्पादन और माता शलभ परीक्षण उपाय संबंधी सभी अभिलेख/पंजी जांच के लिए निरीक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत करूंगा/करेंगे।

5. मैं/हम केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा सुझाए गए अनुसार परेषण की स्वच्छता और माता शलभ परीक्षा प्रक्रियाएं करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

6. मैं/हम निरीक्षण अधिकारी द्वारा किसी लॉट को संक्रमित पाए जाने पर उसे नष्ट करने के लिए "कोई आपत्ति नहीं" संप्रेषित करते है और सहमत है कि निरीक्षण दल की सिफारिशें अंतिम होंगी और इस संबंध में किसी भी प्राधिकारी को कोई अपील नहीं की जाएगी ।

7. उपरोक्त अधिकथित शर्तों में से किसी एक के उल्लंघन के मामले में, भविष्य में रेशम कीट बीज के निर्यात के लिए मेरा आवेदन स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है ।

स्थान

तारीख आवेदक का हस्ताक्षर

उपाबंध – (iv)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)

सं. तारीख

संगरोध प्रमाणपत्र

सेवा में,

भारसाधक अधिकारी

_____का संगरोध संगठन

परेषण संबंधी विवरण

1	निर्यातकर्ता का नाम और पता	
2	पानेवाले का घोषित नाम और पता	
3	पैकेज का नाम और विवरण	
4	घोषित परिवहन का प्रकार	
5	घोषित बंदरगाह प्रवेश/सीमाशुल्क केन्द्र	
6	उत्पाद का नाम और घोषित मात्रा	
7	अंडे का वाणिज्यिक और आनुवंशिक नाम	

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित रेशम कीट अंडे का निरीक्षण किया गया है और उन्हें पेब्रिन रोग मुक्त पाया गया है और उन्हें आयात देश के वर्तमान स्वच्छता नियमों के अनुरूप माना जाता है।

अतिरिक्त घोषणा:

		प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
स्थान: तारीख:	(प्रमाणपत्र जारी करने वाले संगठन का मोहर)	

टिप्पण : इस प्रमाणपत्र के संबंध में कोई वित्तीय देयता नहीं होगी

_____

(रेशम कीट बीज संगरोध संगठन का नाम)

उपाबंध – (v)

रेशम कीट बीज के आयात हेतु अनुमति के लिए आवेदन

प्रेषक

मेसर्स. _____

_____

_____

_____

सेवा में,

सदस्य सचिव,

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

केरेबो काम्प्लेक्स, बीटीएम लेआऊट, मडिवाला

बेंगलूरु – 560 068.

महोदय,

रेशम कीट बीज के आयात प्राधिकृत करते हुए अनुमति मांगने वाला मेरा आवेदन कृपया संलग्न पाएं :

(स्पष्ट अक्षरों में)

1	आयातकर्ता का नाम और पता	
2	किस्म (आयात किए जाने वाले संकर/शुद्ध)	
3	आयात किए जाने वाले अंडों की मात्रा	
4	निर्यातकर्ता अभिकरण/कंपनी का नाम और पता	
5	भेजने वाले का नाम और पता	
6	वह देश जहाँ बीज का उत्पादन किया जाता है	
7	शिपमेंट का विदेशी बंदरगाह	
8	भारत में माल के आगमन की अनुमानित तारीख	
9	भारत में हवाई अड्डे/बंदरगाह/स्थल सीमा शुल्क केन्द्रों का नाम	
10	फर्म के रजिस्ट्रीकरण का नाम और तारीख, राज्य रेशम उत्पादन निदेशक/केन्द्रीय रेशम बोर्ड से कीटपालन लाइसेंस और आयात के लिए सिफारिश(फोटोकॉपी संलग्न करना है)	
11	बीज के वाणिज्यिक आयात के लिए पिछली आयात लाइसेंस की संख्या और तारीख (फोटोकॉपी संनग्न करना है)	
12	वास्तविक स्थान और उसका डाक पता जहां आयातित अंडे का कीटपालन किया जाएगा	
13	पदनामित निरीक्षण प्राधिकरण(डीआईए) का नाम और डाक पता जिसके पर्यवेक्षण के अधीन आयातित अंडे का कीटपालन किया जाएगा।	

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि दी गई सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास में सही है । मैं परमिट में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार किसी अभिहित निरीक्षण प्राधिकारियों को संगरोध निरीक्षण के लिए परेषण प्रस्तुत करने का वचन करता हूँ ।

स्थान

तारीख

आवेदक अथवा उनके प्राधिकृत एजेंट का हस्ताक्षर

टिप्पण

1. आयातकर्ता या उसका प्राधिकृत एजेंट बंदरगाह प्रवेश में माल के आगमन के समय संगरोध केन्द्र के भारसाधक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए आयात परमिट प्रस्तुत करेगा।
2. आयातकर्ता पते में कोई भी परिवर्तन को परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी को तुरंत सूचित करेगा।

उपाबंध – (vi)

प्रवेशोत्तर संगरोध निरीक्षण के लिए आयातक द्वारा वचनबंध भेजने का प्रोफार्मा

प्रेषक

मेसर्स. _____

_____

_____

_____

सेवा में,

सदस्य सचिव,

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

केरेबो काम्प्लेक्स, बीटीएम लेआऊट, मडिवाला

बेंगलूरु – 560 068.

महोदय,

विषय : वाणिज्यिक रेशम कीट अंडे के आयात के लिए वचनबंध

वाणिज्यिक रेशम कीट बीज के आयात, पालन और संगरोध के बाद के निरीक्षण के लिए मेसर्स ....के पक्ष में, मैं..... निम्नलिखित वचनबंध इसके साथ देता हूँ ।

1. इस संगठन से रेशम कीट बीज के आयात के लिए "आयात परमिट" जारी करने के लिए आपको पहले से ही एक आवेदन किया जाएगा और केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार "आयात परमिट" प्राप्त किए बिना कोई आयात प्रभावित नहीं किया जाएगा ।
2. परेषण को आयात परमिट में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त घोषणा के साथ संगरोध प्रमाण पत्र द्वारा कवर किया जाएगा।
3. आयातित परेषण को संगरोध छानबीन और निरीक्षण के लिए बंदरगाह प्रवेश में भारसाधक अधिकारी, रेशम कीट बीज संगरोध केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा।
4. सीमा शुल्क और संबंधित रेशम कीट बीज संगरोध केन्द्र से विमोचित करने के बाद परेषण को _____ तालुक/तहसील _____ जिला,

_____ _____राज्य _____ में स्थित क्षेत्र में पालन किया जाएगा (स्पष्ट अक्षरों में) ।

5. बीजों को कूर्चन करने की तारीख, स्फुटन प्रतिशतता, अपनाए गए फसल संरक्षण उपाय को कूर्चन कार्य से तीन दिनों के भीतर आपको सूचित किया जाएगा।

6. हम _____ तालुक/तहसील _____ जिला, _____ _____ राज्य में स्थित क्षेत्र में कीटों को वितरित करने का प्रस्ताव करते हैं।

7. मैं/हम इस के साथ, इस प्रकार आयातित सामग्री से पालित कीटों के प्रवेशोत्तर संगरोध निरीक्षण के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारियों को अपेक्षित परीक्षण सुविधा प्रदान करने का वचन करता हूँ/करते हैं ।

8. मैं/हम जांच के लिए बीज की प्राप्ति, कूर्चन का विवरण, स्फुटन क्षमता अभिलेख, किया गया फसल संरक्षण उपाय और वितरण पेटर्न आदि संबंधी अभिलेख और रजिस्टर निरीक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत करने का वचन करता हूँ/करते हैं ।

9. सक्षम प्राधिकारी की संगरोध मंजूरी के बिना किसी भी व्यक्ति या संगठन को परेषण की किसी भी हिस्से को नहीं दिया जाएगा या दान नहीं किया जाएगा।

10. मैं/हम निरीक्षण दल द्वारा सुझाए गए अनुसार परेषण के लिए फसल संरक्षण उपायों को करने के लिए सहमति देते हैं ।

11. मैं/हम निरीक्षण अधिकारी द्वारा किसी लॉट को संक्रमित पाए जाने पर उसे नष्ट करने के लिए "कोई आपत्ति नहीं" संप्रेषित करते है और सहमत हैं कि निरीक्षण दल की सिफारिशें अंतिम होंगी और इस संबंध में किसी भी प्राधिकारी को कोई अपील नहीं की जाएगी ।

12. निरीक्षण टीम द्वारा नष्ट किए गए रोगग्रस्त रेशमकीटों की लागत मेरे द्वारा वहन किया जाएगा और इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं की जाएगी।

13. उपरोक्त अधिकथित शर्तों में से किसी एक के उल्लंघन के मामले में, भविष्य में रेशम कीट बीज के आयात के लिए मेरा आवेदन स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है ।

स्थान :

तारीख:

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम

उपाबंध – (vii)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

बीटीएम लेआऊट, मडिवाला, बेंगलूरु – 560 068

वाणिज्यिक कीटपालन के लिए रेशम कीट बीज के निर्यात के लिए परमिट

परमिट सं : ..... तक विधिमान्य है

1. _____

को (आयातकर्ता अथवा उनके प्राधिकृत एजेंट का नाम और पता) को एतदद्वारा विनिर्दिष्ट रेशम कीट बीज,_____में उत्पादित को वायु/समुद्र/स्थल के माध्यम से _____ (भेजनेवाले का नाम और पता) वायु/समुद्र,बदरगाह/स्थल सीमा शुल्क केन्द्र_____से निम्नलिखित विवरण के अनुसार आयात करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

1	बंदरगाह/केन्द्र का नाम	
2	किस्म का नाम	
3	अंडे की मात्रा (अंक अथवा वजन में)	
4	पानेवाले का नाम और पता	
5	वह देश और स्थान जहां से बीज का उत्पादन किया जाता है ।	
6	शिपमेंट का विदेशी बंदरगाह	
7	भारत में परेषण के आगमन का अनुमानित तारीख	
8	भारत में हवाईअड्डा/बंदरगाह/स्थल सीमा शुल्क केन्द्र का नाम	
9	फर्म का नाम और रजिस्ट्री की तारीख	
10	वास्तविक स्थान और पता जहाँ से आयातित अंडे का कीटपालन किया जाएगा।	
11	पदनामित निरीक्षण प्राधिकरण(डीआईए) का नाम और डाक पता जिसके पर्यवेक्षण के अधीन आयातित अंडे का कीटपालन किया जाएगा।	

2. बीज का परेषण बीमारियों से मुक्त होना चाहिए, साथ ही मूल देश स्थित कंपनी का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी रोग मुक्त प्रमाण-पत्र भी होना चाहिए।

3. सभी बीजों को प्रवेशोत्तर संगरोध निरीक्षण के लिए कीटपालित किया जाना चाहिए और केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा _____ (स्थान का नाम और पता) पर अनुमोदित किया जाना चाहिए।

4. यह परमिट हस्तांतरणीय नहीं है।

स्थान :

तारीख:

सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर

(मुहर)

उपाबंध – (viii)

आयातित अंडे का संगरोध परीक्षण रिपोर्ट

परीक्षण स्थान :

तारीख :

क्रम सं	बैच सं	प्रजाति का नाम	अंडे की कुल मात्रा (बक्सों की संख्या)	नमूना बक्सों की संख्या	संक्रमित अंड के साथ पाये गये बक्सों की संख्या	संक्रमित अंड के साथ पाये गये बक्सों की प्रतिशतता

संगरोध केन्द्र का नाम और मुहर

निर्यातकर्ता का नाम :

आयातकर्ता का नाम :

अनुमोदन पत्र संदर्भ सं .

केरेबो संगरोध निरीक्षक/वैज्ञानिक का नाम

(रेबीप्रौप्र, बेंगलूरु / केरेअवप्रसं, बहरमपुर/केतअवप्रसं, रांची/केमूएअवप्रसं, लाहदोईगढ़)

डीआईए का हस्ताक्षर

उपाबंध – (ix)

पदनामित निरीक्षण प्राधिकरण द्वारा आयातकर्ता के स्थान पर रेशम कीट डिम्भक के लिए प्रवेशोत्तर संगरोध (पीईक्यु) परीक्षण रिपोर्ट

क्रम सं	बैच संख्या	प्रजाति का नाम	कूर्चन तारीख	परीक्षण की चरण	परीक्षित नमूनों की कुल संख्या	संक्रमित नमूनों की कुल संख्या	संक्रमण की प्रतिशतता

निर्यातकर्ता का नाम :

आयातकर्ता का नाम :

सीमाशुल्क अनुमोदन पत्र सं :

डीआईए की सिफारिशें

डीआईए का नाम और मुहर

डीआईए का हस्ताक्षर

परीक्षण रिपोर्ट की संसूचना

"नमूना संक्रमित होने पर परीक्षण रिपोर्ट को रजिस्ट्रीकरण समिति और सदस्य सचिव, **केन्द्रीय रेशम बोर्ड** को संसूचित किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, डीआईए तुरंत कार्रवाई करेंगे और सामग्री नष्ट करने की व्यवस्था करेगा। "

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December ,2021

G.S.R. 861(E).—In exercise of the powers conferred by section 13A of the Central Silk Board Act, 1948 (LXI of 1948), the Central Silk Board with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Silk Board Silk-worm Seed Regulations, 2010, namely:-

1. Short title and commencement.--- (1) These regulations may be called the Central Silk Board Silk-worm Seed (Amendment) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Silk Board Silk-worm Seed Regulations, 2010 (hereinafter referred to as the said regulations), after regulation 19, the following regulation shall be inserted, namely-

"19A. Export and import of silk-worm seed and quarantine procedures.-The export and import of silk-worm seed and its quarantine procedures shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations."

3. In the said regulations, after Form 3, the following Schedule shall be inserted, namely:-

"Schedule"

(see regulation 19A)

EXPORT AND IMPORT OF SILKWORM SEED AND QUARANTINE PROCEDURES

Introduction:

Quarantine is a measure to ensure that the plants and animals and their products which move across international boundaries are free of pest and diseases, so as to prevent introduction and spread of pests and diseases in the region. It aims to protect agriculture / sericulture from avoidable damage by hazardous organisms, which may have been inadvertently introduced into a particular country. Quarantine measures are strictly followed while importing and exporting plants, fruits, seeds, animals, insects, microbe culture, etc., from one country or region to another. No progressive country allows the unrestricted import of biological materials or their unrestricted movement from one area to another within its own territory. Hence, the import of any biological material is regulated due to the risk of introduction of pests and diseases. Under sanitary or phytosanitary measures of WTO and GATT, 1994, it has been repeatedly emphasized to protect human or animal life or animal health within the territory and countries during import and export.

(I) Quarantine procedures for Export of silkworm eggs:-

The liberalisation policy of the Government for privatizing the egg production industry has paved the way for establishing seed production centres by many private persons and agencies. Some well organized private sector industries are already exporting the silk-worm eggs and there is no binding under quarantine at present with regard to export of these silk-worm eggs for disease freeness. Such type of unrestricted export or import of silk-worm eggs may lead to occurrence and spread of disease in the country of import. It affects the export and reputation of the country. Hence, all the export and import of silk-worm eggs have to be strictly regulated to ensure that there is no compromise on quarantine procedures.

(A) General conditions and essential requirements for export

(I) Exporter shall be a person registered with the Registration Committee. The exporter shall apply in the prescribed form in **Annexure-(i),** for the export permit, to the Member Secretary, Central Silk Board, Bangalore along with the stipulated fee and obtain the Export Permit in **Annexure-(ii).**

(II) The exporter shall submit an undertaking in A**nnexure-(iii)** along with the application.

(III) The exporter shall obtain necessary quarantine certificate in **Annexure-(iv)** for each consignment on charge basis.

(IV) Quarantine inspection for export shall be carried out and certificate issued only by the technically qualified and duly authorised officers working in institutions established or accredited by the committee subject to fulfillment of the conditions laid hereunder:

(V) No consignment shall be exported without the quarantine certificate by the authorised person and the export permit issued by the competent authority.

(VI) All the silk-worm seeds meant for export shall be prepared as loose grains of 50 layings, of uniform weight as per the standard prescribed in boxes.

(VII) Only authorised hybrids are permitted for export.

(VIII) The exporter shall deliver the entire consignment at the specified quarantine centre, at his own expenses as per the conditions laid down.

(IX) The exporter shall arrange and present the products for the purpose of inspection and drawing samples to the authorised person in accordance with the specified sampling schedule.

(X) The exporter shall extend labour and material support required for handling the boxes.

(XI) The Quarantine Officer shall seal the consignment after inspection and such seal shall bear the markings as "inspected and certified".

(XII) After inspection, the exporter shall clear the consignment on the same day from the premises of the inspection laboratory.

(XIII) After certification, the exporter shall not in any manner alter the contents of the consignment and shall not distort or damage the quarantine seal.

(XIV) The Quarantine Centre shall bear no responsibility to any infestation and infection that may occur after the consignment has been inspected and duly certified.

(XV) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person, for anything done in good faith or intended to be done under quarantine law or procedure.

(B) Quarantine testing laboratory

The fully equipped testing laboratory shall be arranged at the Quarantine Station to facilitate effective implementation of quarantine regulations. The quarantine testing shall be done scientifically adopting centrifugal method of detecting the pebrine disease in the exportable sample eggs. The equipment for testing are:

(a) Equipment

Sl.No	Equipment
(1)	(2)
1.	Precision incubator with RH facilities
2.	Pestle and Mortar / Tissue homogeniser
3.	Mixer with jars
4.	Eppendorf Centrifuge (1.5 / 2 ml) & tubes
5.	Centrifuge (15 / 100 ml tube capacity) & tubes
6.	Binocular Phase contrast Microscopes
7.	Cyclomixer
8.	Plastic Beakers
9.	Funnels 10 cm diameter
10.	Thin glass rod
11.	Microslides
12.	Coverslips
13.	Measuring cylinder
14.	Dropper / drop bottles
15.	Plastic Bucket
16.	Plastic Basins
17.	Testing Table
18.	Testing stools
19.	Lighting arrangement for testing
20.	Muslin cloth
21.	Sterilized cotton
22.	Clinical Sterilizer
23.	Sprayer for disinfection, disinfection mask

24.	Hand gloves, apron, magnifying glass, forceps, scissors, sampling scoop
25.	Micropippettes
26.	Chawki rearing facilities attached with small mulberry garden.

(b) Chemicals

Sl.No	Name of the chemical
(1)	(2)
1.	Potassium Carbonate
2.	Bleaching Powder
3.	General disinfectant
4.	Pure Distilled Water

(C) Quarantine testing procedure for silk-worm eggs

(a) Individual egg testing

(I) select eggs with depression or abnormal colour, shape and size

(II) crush selected eggs after suspending them in 0.25% K_2CO_3 solution for 10 seconds on a clean glass slide by pressing a 12 mm cover glass over them.

(III) examine using a phase contrast microscope at 600 x magnification in bright light.

(IV) examine a minimum of 5 microscopic fields.

(b) *En masse* egg testing

collect the silk-worm eggs for testing as per sampling plan as provided below:

Sampling Plan

No. of Egg Boxes	Boxes to be sampled	Total Quantity of eggs to be tested (g)
(1)	(2)	(3)
1-5	All	1
6-10	5	1
11-50	10	2
51-100	20	4
101-200	30	6
201-300	40	8
301-400	50	10
401-500	60	12
501-600	70	14
601-700	80	16
701-800	90	18
801-900	100	20
901-1000	110	22
1001-2000	120	24
2001-3000	145	29
3001-4000	195	39
4001- 5000	225	45
5001- 7000	250	50
7001- 10000	310	62
10001- 20000	425	85

(I) crush the eggs collected as per the sampling plan using mortar and pestle with 0.5% K_2CO_3 solution, at the rate of 4 parts K_2CO_3 per one part of eggs.

(II) allow the homogenate to settle for 3 minutes.

(III) filter the homogenate through a thin layer of absorbent cotton/muslin cloth

(IV) centrifuge for 3 min at 3000 rpm.

(V) add a few drops of water/ 0.5% K_2CO_3 solution and stir on a cyclomixer to disperse the sediment.

(VI) examine under a bright field or phase contrast microscope at 600 x.

(VII) take 2 smears/sample and observe at least 5 microscopic fields/smear.

(c) Hatching test of eggs

A few eggs (50 to 100 eggs) from the egg samples drawn are to be kept for incubation by following the standard incubation methods. After hatching, percentage of hatching, unfertilized eggs and unhatched eggs (dead eggs) are to be recorded.

(d) Inspection of chawki larvae

Chawki larvae from the sample eggs brushed from the tested consignment are to be inspected during 3rd instar as per the standard inspection method.

(I) homogenize sample larvae with 0.6% K_2CO_3 solution in a mortar and pestle.

(II) pour the homogenate into a beaker and allow for settling for 3 min.

(III) filter the homogenate through a thin layer of absorbent cotton/muslin cloth.

(IV) dissolve the sediment in a few drops of 0.6%K_2CO_3 solution.

(V) examine the smear under a microscope as indicated above.

(e) Disinfection and cleaning

After quarantine testing of the sample eggs is over, the room floor is swabbed with general disinfectant. All the equipment used for testing have to be disinfected properly. The glassware used for testing should also be sterilized and general hygiene to be maintained.

(D) Issue of Quarantine Certificate

Quarantine Certificate is the certificate to ensure that the eggs which are intended for export are free from pebrine disease or any other disease or pests. If the sample eggs tested are free from pebrine disease, the Quarantine Certificate shall be issued by the DIA ***[Silkworm Seed Technology Laboratory (SSTL) for southern zone & Maharastra & Odisha & Central Sericultutral Research & Training Institute (CSRTI), Berhampore for the remaining States in the case of Mulberry silkworm].*** The DIA for Tasar silk-worm shall be Central Tasar Research & Training Institute (CTRTI), Ranchi and that for Eri and Muga silkworm shall be Central Eri and Muga Researsh & Training Institute (CMERTI), Lahdoigarh. The Scientists of Silk-worm Pathology Laboratories of the respective Institutes are authorized as quarantine inspecting officers, who conduct the quarantine inspection at their Laboratory.

(E) Training of inspecting officials

The inspecting officials of the quarantine station shall be trained in the latest examination technology and correct identification of pebrine spores at different developmental stages of silk-worm *viz*., egg, larva, pupa and moth. The training shall be imparted by Silk-worm Seed Technology Laboratory, Central Silk Board, Bangalore. The refresher training course shall also be conducted to update knowledge to the officers / officials, whenever it is felt necessary.

(F) Duties and functions of quarantine officers

(a) Designated Inspecting Authority (DIA)

It is the responsibility of the Designated Inspecting Authority to conduct quarantine screening. There will be four DIAs, the Head, SSTL, Bangalore, Karnataka and the Director, CSRTI, Berhampore, West Bengal, the Director, CTRTI, Ranchi, Jharkhand, and the Director, CMERTI, Lahdoigarh, Assam. The Scientists working in Silkworm Pathology Laboratory, in the respective Institutes shall function as Authorised Quarantine Inspecting Officers, who can conduct the test and take decisions as per the conditions laid down in the quarantine procedures. Authorised officers shall be well-versed with the procedure associated with silk-worm disease diagnosis. The authorized officer shall conduct the microscopic test in the laboratory or exporters' at place where the facility has been provided by the

exporter. If pebrine is noticed during scrutiny, DIA or the officer authorised by him is empowered to destroy the batch immediately and inform the concerned by marking copies of the test report and action taken.No exporter shall export the consignment without obtaining the quarantine certificate from DIA.

(b) Authority to recommend for export or import of seed

The Member Secretary, Central Silk Board is the sole authority to recommend for export or import of seed. The Member Secretary shall see and examine cases individually to safeguard the interest of the sericulture industry in granting or declining the request for import or export of silk-worm seed. This is based on policy decision, as well as safeguarding the quality of seed and reputation of the company or organisation.

(II) Quarantine procedures for Import of silk-worm seed:-

(A) Need for introducing quarantine regulations while import

The exchange of germplasm and other genetic materials and also bringing of live materials such as eggs, larvae and cocoons from abroad by the scientists or technologists during their visit for breeding purpose or other scientific pursuits have become a common practice. With rapid expansion of sericulture across the country, there is a great increase in the requirement of silkworm seed. The Government policy of encouraging privatisation in sericulture industry, has paved the way to the establishment of many farms and seed production centres by private entrepreneurs. Reputed foreign silk-worm seed firms are already in collaboration with domestic private companies and high yielding silk-worm seeds are exported to India.

In the free trade regime, quality of silk, yield potential and farm income can be enhanced and bivoltine sericulture in India can be further promoted by importing high quality silk-worm hybrid eggs with high yield potential which are suitable for Indian agro-climatic condition. At present, strict quarantine procedures are not followed at the time of import of silk-worm eggs. Any such continued laxity in application of quarantine measures may contribute to the danger of introduction and spread of silk-worm diseases. Hence, the quarantine regulations shall be imposed for the import of any type of silk-worm eggs or live cocoons to avoid the risk of inviting diseases.

In order to protect the agricultural and forest species of the country, the plants and animal wealth (cultivated plants and domesticated animal wealth) in particular, the Government of India has regulated the imports of plants and plant products by enforcing an Act known as "Destructing Insects and Pests Act, 1914", and established the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage to implement the various regulations under the said Act. The quarantine measures are rigidly implemented at all entry points such as International airports, seaports and land frontiers to regulate the import of plant materials. Such a quarantine system is non-existent with regard to sericulture products. In the absence of strict quarantine system, some pests invade new areas and establish there in due course of time. One such example in the field of sericulture is spread of uzifly (*Exorista bombycis*), a well known parasite of silk-worm *Bombyx mori* L. from West Bengal to Karnataka through unscrupulous and unauthorised trade of seed cocoons in 1980. Since then, the parasite has established itself causing unprecedented damage to cocoon crop. There were also several other instances of continuous occurrence of pebrine disease in the hybrid silk-worm eggs imported from foreign countries to the Union territory viz., Jammu and Kashmir for commercial exploitation, threatening the very existence of sericulture.

(B) Quarantine regulations on importing silk-worm seed

Quarantine measures shall help to regulate the import of silk-worm eggs from other countries and also to intercept the entry of silk-worm diseases, so that while importing seeds, there is absolutely no compromise on quarantine procedures. The general conditions are:

(a) Importer shall be a person registered with the Registration Committee.

(b) He shall obtain the import permit from the Member Secretary, Central Silk Board by applying in the stipulated format [**Annexure-(v)]** along with the requisite fee for import of seed.

(c) He shall submit an undertaking for post-entry quarantine (PEQ) inspection in the proforma as per **Annexure-(vi)**

(d) No silk-worm seed shall be imported without a valid Import Permit **[Annexure –(vii)]** and quarantine certificate issued by the country of origin.

(e) A sample of all the lots or batches of the seed imported to the country shall be sent to the nearest Central Seed Testing Laboratory (CSTL) for conducting tests for ascertaining disease freeness as per the procedures laid down for issue of quarantine test report **[Annexure-(viii)].**

(f) All importers of seed shall submit a report of the performance of the imported seed in India **[Annexure- (ix)]** to the Registration Committee.

(g) Such imported seed (eggs) shall not be put to commercial use till it is certified by the testing unit as safe and free from any pests and diseases.

(h) The importing agency shall provide the original certificate issued by the designated authority of exporting country at the time of getting the post import quarantine.

(i) The importer shall obtain necessary quarantine test report in **Annexure- (viii)** for each consignment.

(j) In case the consignment on arrival shows the presence of pebrine disease, the entire consignment shall be rejected and destroyed.

(k) The imported consignment of eggs shall be stored or incubated properly by the ***importer*** until the quarantine clearance is given.

(l) The imported eggs shall not be distributed to the farmers, but shall be chawki reared by the importer to facilitate PEQ inspection, as per the conditions laid by the competent authority.

(m) The importer shall inform in advance the Designated Inspecting Authority having jurisdiction, about the time and date of brushing of such material.

(n) The DIA shall permit the distribution of worms to the farmers by the importer, if they are found free from pebrine disease.

(o) If the worms in the PEQ inspection are found to be affected by pebrine disease, the DIA shall order the destruction and the importer shall destroy the worms of the affected lot.

(C) Quarantine testing centre

The Director / Officer In-charge of Silk-worm Seed Technology Laboratory, CSB, Bangalore or any other Institution will be the Designated Inspecting Authority (DIA) for the eggs imported by the Companies located in Southern States of India, viz., Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala, in addition to the States of Maharashtra and Odisha. The Director / Officer In-charge of CSRTI, Berhampore, will be the Designated Inspecting Authority (DIA) for the remaining States. The DIA for Tasar silk-worm shall be Central Tasar Research & Training Institute (CTRTI), Ranchi and that for Eri and Muga silkworm shall be Central Eri and Muga Researsh & Training Institute (CMERTI), Lahdoigarh. The Scientists of Silk-worm Pathology Laboratories of the respective Institutes are authorised as quarantine inspecting officers, who conduct the post entry quarantine inspection at the place of importer during chawki rearing.

(D) Procedure of quarantine inspection at port of entry and importing agency

Sampling and testing procedure of silk-worm egg to be adopted by the quarantine authority at the port of entry are same as those described for export of silk-worm eggs.

(E) Post entry quarantine facilities by importer

The importer shall make arrangement for pebrine testing facilities at his place to conduct post-entry quarantine during chawki rearing. The required equipment and chemicals shall be procured and facilities created at his own cost.

(F) Testing procedure of young silkworm larvae at the place of importer (PEQ inspection)

Weak, undersized and unsettled larvae are collected once in each instar. About 0.5, 1.0 and 2 g of larvae during 1^{st}, 2^{nd} and 3^{rd} instar, respectively shall be drawn for investigation. The larvae shall be thoroughly crushed by adding 0.6% K_2CO_3 solution followed by standard centrifugal method of examination for the diagnosis of pebrine.

(G) Training for inspecting officials

The inspecting officials of the Quarantine Station and Designated Inspecting Authorities shall be scientifically trained in latest examination technology and correct identification of pebrine spores at egg and young larval stage. The training shall be imparted by Silkworm Seed Technology Laboratory, Central Silk Board, Bangalore. The refresher training courses shall also be conducted to provide the knowledge of latest technology to officials whenever felt necessary.

(H) Duties and functions of quarantine station

The Head, SSTL, Bangalore and the Director, CSRTI, Berhampore, shall function as DIAs who shall be assisted by the scientists of Silk-worm Pathology Laboratory of the respective stations. The scientists shall apprise the DIA about the larval test results during the ***first three*** stages of rearing. The DIA shall take necessary action to destroy the lots if pebrine is reported. In case the lots or batches are found disease free, the DIA shall issue the clearance certificate to the importer for continuation of the rearing.

[F.No25011/4/2019-Silk]

SANJAY SHARAN, Jt. Secy.

Note: the Central Silk Board Silk-worm Seed Regulations,2010 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub –section (i),vide notification number G.S.R. 194(E),dated the 16th March,2010 and last amended vide notification number G.S.R. 75 dated the 31st March,2015.

Annexure: (i)

APPLICATION FOR PERMIT TO EXPORT SILK-WORM SEEDS

From

M/s. _____

_____

_____

To

The Member Secretary

Central Silk Board

Ministry of Textiles, Govt. of India

CSB Complex, BTM Layout, Madivala

BANGALORE – 560 068.

Sir,

Please find my application seeking the permit authorising the export of silk-worm seed:

(IN BLOCK LETTERS)

1	Name and address of Exporter	
2	Name of variety (hybrid to exported)	
3	Quantity of eggs to be exported	
4	Name and address of importing agency / company	
5	Approximate date / month of air lifting of consignment	
6	Name of Airport	
7	Number and date of last import license for export of commercial seed	
8	Name and postal address of designated inspection authority (DIA) under whose supervision the eggs shall be exported	

DECLARATION:

I declare that the information furnished is correct to the best of my knowledge and belief. I undertake to produce the consignment for quarantine inspection to any designated inspection authority as specified in the permit.

Place

Date

Signature of the Exporter or his

Authorised agent

NOTE

The exporter or his authorised agent shall produce this permit for inspection by the Officer Incharge of the Quarantine Station or an Officer authorised by him at the time of producing the consignment for quarantine certificate. He shall intimate immediately to the issuing authority regarding change of address, if any.

Annexure: (ii)

CENTRAL SILK BOARD

MINISTRY OF TEXTILES, GOVT. OF INDIA

BTM LAYOUT, MADIVALA, BANGALORE – 560 068

PERMIT FOR EXPORT OF SILK-WORM SEED FOR COMMERCIAL REARING

Permit No: **Valid up to:**

1. Permission is hereby granted to _____ _____ (Name and address of *exporter* or his authorised agent) to export by air / sea / land the silk-worm seeds herein specified produced in _____ _____ from (Name and address of the consigner) through air / sea, port / land custom station, _____ _____ as per the following details:

1	Name of port / station	
2	Name of variety	
3	Quantity of eggs (Number or weight)	
4	Name and address of the consignee	
5	Country and locality to where the seeds are exported	
6	Foreign port of arrival	
7	Name and date of registration of firm	

2. The consignment of seeds should be free from diseases, accompanied by Disease Free Certificate issued by the quarantine authority.

3. This permit is not transferable.

Place :

Date : Signature of the Competent Authority

(SEAL)

Annexure-(iii)

PROFORMA FOR FURNISHING THE UNDERTAKING BY THE EXPORTER

From

M/s. _____

_____

_____

To

The Member Secretary

Central Silk Board

Ministry of Textiles, Govt. of India

CSB Complex, BTM Layout, Madivala

BANGALORE – 560 068.

Sir,

Sub: Undertaking for export of commercial silk-worm eggs.

On behalf of M/s. …….. , I ……. ……. hereby give the following undertaking for the export of commercial silk-worm seeds.

1. An application will be made sufficiently in advance to you for issue of "Export Permit" for export of silk-worm seed from this organization and no export will be effected without the receipt of "Export Permit" as per the conditions stipulated by Central Silk Board.
2. The shipment of the consignment will be covered by quarantine certificate with additional declaration specified in the export permit.
3. The exportable consignment will be presented to the Officer Incharge, Silk-worm Seed Quarantine Station for quarantine screening / inspection.
4. I / We hereby undertake to produce before the inspection team records / registers relating to egg production and mother moth examination measures undertaken for scrutiny.
5. I / We agree to undertake the hygiene and mother moth examination procedures for the consignment as suggested by the Central Silk Board.
6. I / We hereby convey our "No Objection" to the destruction of any lot by the inspection officer if found infected and agree that the recommendations of the inspection team shall be final and no appeal in this regard would be made to any authority.
7. In the case of contravention of any of the conditions laid down above, my application for export of silk-worm seed in future need not be entertained.

Place :

Date :

Signature of the Applicant

Annexure: (iv)

CENTRAL SILK BOARD

(Ministry of Textiles, Govt. of India)

No. Date:

QUARANTINE CERTIFICATE

To

The Officer Incharge

Quarantine Organisation of_____

DESCRIPTION OF THE CONSIGNMENT

1	Name and address of Exporter	
2	Declared name and address of consignee	
3	Name and description of packages	
4	Declared means of conveyance	
5	Declared port of Entry / custom station	
6	Name of produce & quantity declared	
7	Commercial & Generic names of the eggs	

This is to certify that the silk-worm eggs described above have been inspected and found free from *pebrine disease or any other disease or pests* and that they are considered to conform with the current Sanitary regulations of the importing country.

Additional declaration:

		Authorized Signatory
Place: Date:	(Seal of the organisation issuing the Certificate)	

Note: No financial liability with respect to this certificate shall attach to

_____

(Name of the silkworm seed quarantine organisation)

Annexure: (v)

APPLICATION FOR PERMIT TO IMPORT SILK-WORM SEEDS

From

M/s. _____

_____

_____

_____

To

The Member Secretary

Central Silk Board

CSB Complex, BTM Layout, Madivala

BANGALORE – 560 068.

Sir,

Please find my application seeking the permit authorizing the import of silk-worm seed:

(IN BLOCK LETTERS)

1	Name and address of importer	
2	Variety (hybrid / pure to be imported)	
3	Quantity of eggs to be imported	
4	Name and address of agency / company exporting	
5	Name and address of the consigner	
6	Country in which seeds are produced	
7	Foreign port of shipment	
8	Approximate date of arrival of consignment in India	
9	Name of airport / seaport / land customs stations in India	
10	Name and date of registration of firm, rearing licence and recommendation for import from /State Director of Sericulture / Central Silk Board (Photo copy to be attached).	
11	Number and date of last import licence for commercial import of seed (Photocopy to be attached).	
12	Exact locality and its postal address where imported eggs will be reared.	
13	Name and postal address of Designated Inspection Authority (DIA) under whose supervision the eggs imported shall be reared.	

DECLARATION

I declare that the information furnished is correct to the best of my knowledge and belief. I undertake to produce the consignment for quarantine inspection to any designated inspection authority as specified in the permit.

Place

Date

Signature of the applicant or his
authorised agent

NOTE

1. The importer or his authorized agent shall produce the import permit for inspection by the Officer Incharge of the Quarantine Station or an Officer authorised by him at the time of arrival of consignment at the port of entry.
2. The importer shall intimate immediately to the permit issuing authority of any change of address.

Annexure: (vi)

PROFORMA FOR FURNISHING THE UNDERTAKING BY THE IMPORTER FOR POST ENTRY QUARANTINE INSPECTION

From

M/s. ________________

____

____

____

To

The Member Secretary

Central Silk Board

Ministry of Textiles, Govt. of India

CSB Complex, BTM Layout, Madivala

BANGALORE – 560 068.

Sir,

Sub: Undertaking for import of commercial silk-worm eggs.

On behalf of M/s. …………………………………. , …I ……… ……………………… ……………………………………….. .. hereby give the following undertaking for the import, growing and post quarantine inspection of commercial silk-worm seeds.

1. An application will be made sufficiently in advance to you for issue of "Import Permit" for import of silk-worm seed for this organisation and no import will be effected without the receipt of "Import Permit" as per the conditions stipulated by the Central Silk Board.
2. The consignment(s) shall be covered by quarantine certificate with additional declarations specified in the import permit.
3. The imported consignment will be presented to the Officer Incharge, Silk-worm Seed Quarantine Station at the port of entry for quarantine screening and inspection.
4. After release from the customs and Silk-worm Seed Quarantine Station concerned, the consignment will be reared in the area located at ______________________________ Taluk / Tahsil ________________ Dist., ________________ in the State of ________________ (Block letters).
5. The date of brushing of the seeds, hatching percentage, crop protection measures adopted, will be intimated to you within three days from the brushing of works.
6. We propose to distribute the worms in an area located at ______________________________ Taluk / Tahsil ________________ Dist., ______________ in the State of ______________________________.

7. I / We hereby undertake to provide the required testing facilities to the officers nominated by the Central Silk Board, for post-entry quarantine inspection of the worms raised from the imported material.
8. I / We hereby undertake to produce before the inspection team records and registers relating to the receipt of the seeds, details of brushing, hatchability records, crop protection measures undertaken and distribution pattern, etc., for scrutiny.
9. No part of the consignment shall be given or donated to any individual or organisation without the quarantine clearance of the competent authority.
10. I/We hereby agree to undertake the crop protection measures for the consignment as suggested by the Inspection team.
11. I / We hereby convey our "No Objection" to the destruction of any lot by the inspection team if infected and agree that the recommendations of the inspection team shall be final and no appeal in this regard would be made to any authority.
12. The cost of destruction of the infected silk-worms by the inspection team will be borne by me and no objection will be raised on account of this.
13. In the case of contravention of any of the conditions laid down above, my application for import of silk-worm seed in future need not be entertained.

Place:

Date:

Signature of the Applicant

Name

Annexure: (vii)

CENTRAL SILK BOARD

MINISTRY OF TEXTILES, GOVT. OF INDIA

BTM LAYOUT, MADIVALA, BANGALORE – 560 068

PERMIT FOR IMPORT OF SILK-WORM SEED FOR COMMERCIAL REARING

Permit No: **Valid up to:**

1. Permission is hereby granted to _____ _____ (Name and address of importer or his authorised agent) to import by air / sea / land the silk-worm seeds herein specified produced in _____ _____from (Name and address of the consigner) through air / sea, port / land custom station, _____ as per the following details:

1	Name of port / station	
2	Name of variety	
3	Quantity of eggs (Number or weight)	
4	Name and address of Consigner	
5	Country and locality where the seeds are produced	
6	Foreign port of shipment	
7	Approximate date of arrival of consignment in India	
8	Name of airport / seaport / land customs stations in India	
9	Name and date of registration of firm	
10	Exact locality and address where imported eggs will be reared.	

11	Name and postal address of Designated Inspection Authority (DIA) under whose supervision the imported will be reared.	

2. The consignment of seeds should be free from diseases, accompanied by Disease Free Certificate issued by the authorised Officer of the Company in the country of origin.

3. All the seeds should be reared for post-entry quarantine inspection and approved by Central Silk Board at _____ (Name and address of location).

4. This permit is not transferable.

Place :

Date : Signature of the Competent Authority

(SEAL)

Annexure: (viii)

QUARANTINE TEST REPORT OF IMPORTED EGGS

Place of testing:

Date

Sl. No.	Batch No.	Name of the race	Total qty. of eggs (No. of boxes)	No. of boxes sampled	No. of boxes found with infected eggs	Percentage of boxes found with infected eggs.

Name and seal of the Quarantine Station

Name of the Exporter:

Name of the Importer:

Approval letter reference no.:

Name of the CSB Quarantine Inspector / Scientist :

[SSTL, Bangalore / CSRTI, Berhampore/

CTRTI,Ranchi / CMERTI, Lahdoigarh]

Signature of the DIA

Annexure: (ix)

POST ENTRY QUARANTINE (PEQ) TEST REPORT FOR SILK-WORM LARVAE AT THE IMPORTER'S PLACE, EXECUTED BY DIA.

Sl. No.	Batch No.	Name of the race	Brushing Date	Stage of testing	Total no. of samples tested	Total no. of samples infected	Percentage of infection

Name of the Exporter:

Name of the Importer:

Customs Clearance letter No:

Recommendation of the DIA

Name and Seal of the DIA

Signature of the DIA

Communication of Test Report

"The test report shall be communicated to the Registration Committee and the Member Secretary, Central Silk Board, if the sample is found infected. In such cases, the DIA would act immediately and arrange for the destruction of the material".

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.12.17 22:39:09 +05'30'